



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 फाल्गुन 1944 (श0)

(सं0 पटना 203) पटना शुक्रवार, 3 मार्च 2023

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

2 मार्च 2023

सं० 26/नि०नि०-19-02/2021-4319/सा०प्र०— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।—

- (i) यह नियमावली "बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली, 2023" कही जा सकेगी।
- (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (iii) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ ।—इस नियमावली में जब तक किसी संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :-

- (i) "नियमावली" से अभिप्रेत है "बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली, 2023"।
- (ii) "सरकार" से अभिप्रेत है बिहार सरकार।
- (iii) "वर्ष" से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष अर्थात् पहली अप्रैल से अगले वर्ष के 31 मार्च तक।
- (iv) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है संबंधित सेवा/संवर्ग नियमावली में परिभाषित नियुक्ति प्राधिकार।
- (v) "उत्कृष्ट खिलाड़ी" से अभिप्रेत है बिहार राज्य के वैसे खिलाड़ी जो बिहार राज्य के मूल निवासी हों, जिन्होंने भारत वर्ष की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में पदक प्राप्त किया हो/सहभागिता की हो/किसी राज्य की ओर से राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में पदक प्राप्त किया हो।
- (vi) "व्यक्तिगत स्पर्धा" से अभिप्रेत है वैसी स्पर्धा, जिसमें व्यक्तिगत प्रदर्शन से उपलब्धि प्राप्त की गयी हो।
- (vii) "दलीय स्पर्धा" से अभिप्रेत है वैसी स्पर्धा, जिसमें एक से अधिक खिलाड़ियों द्वारा एक दल के रूप में खेलते हुये उपलब्धि प्राप्त की गयी हो।
- (viii) "भारत वर्ष का प्रतिनिधित्व" से अभिप्रेत है बिहार राज्य के मूल निवासी जो भारत देश का प्रतिनिधित्व अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में करने वाले खिलाड़ी हैं।

3. अर्हताएँ I—

(क) इस नियमावली के अंतर्गत निम्नांकित अर्हता प्राप्त खिलाड़ी राज्य सरकार की सेवा में उत्कृष्ट खिलाड़ी की श्रेणी में नियुक्ति के पात्र होंगे—

(i) जो बिहार राज्य के मूल निवासी हों।

(ii) पदक विजेता की सीधी भर्ती के लिये निर्धारित पे-बैंड/स्केल एवं वेतन स्तर तथा उसके लिये निर्धारित न्यूनतम खेल अर्हता—

क्र० सं०	पे-बैंड/स्केल का नाम	वेतन स्तर	सीधी भर्ती के लिये निर्धारित न्यूनतम खेल अर्हता
(i)	पीबी-II(9300-34800) ग्रेड पे-5400	9	ओलम्पिक खेलों में स्वर्ण/रजत/कांस्य पदक विजेता या एशियन गेम्स/कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता।
(ii)	पीबी-II(9300-34800) ग्रेड पे-4600	7	ओलम्पिक खेलों में सहभागिता या एशियन गेम्स/कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत/कांस्य पदक विजेता।
(iii)	पीबी-II(9300-34800) ग्रेड पे-4200	6	1. एशियन गेम्स/कॉमनवेल्थ गेम्स में सहभागिता या नेशनल गेम्स/सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप में स्वर्ण/रजत पदक विजेता। 2. केवल वैसे गेम्स जो ओलम्पिक गेम्स/एशियन गेम्स/कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल हैं।
(iv) (क)	पीबी-I(5200-20200) ग्रेड पे-1800/1900	1/2	1. नेशनल गेम्स/सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप में कांस्य पदक विजेता। 2. जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप में स्वर्ण/रजत/कांस्य पदक विजेता (क) उम्र 18 वर्ष के बाद आवेदन कर सकते हैं। (ख) व्यक्तिगत स्पर्धा में न्यूनतम 16 प्रतिभागी एवं दलीय स्पर्धा में संबंधित खेल से कम से कम 8 दल भाग लिये हों। 3. केवल वैसे गेम्स जो ओलम्पिक गेम्स/एशियन गेम्स/कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल हैं।

ट्रायल/परीक्षण के आधार पर

(iv) (ख)	पीबी-I(5200-20200) ग्रेड पे-1800/1900	1/2	(क) नेशनल गेम्स में व्यक्तिगत स्पर्धा में प्रथम आठ या क्वार्टर फाइनलिस्ट एवं दलीय स्पर्धा में सेमीफाइनलिस्ट, सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप में व्यक्तिगत स्पर्धा में प्रथम छः या क्वार्टर फाइनलिस्ट एवं दलीय स्पर्धा में सेमीफाइनलिस्ट। (ख) व्यक्तिगत स्पर्धा में न्यूनतम 16 प्रतिभागी एवं दलीय स्पर्धा में संबंधित खेल से कम से कम 8 दल भाग लिये हों। (ग) केवल वैसे गेम्स जो ओलम्पिक गेम्स/एशियन गेम्स/कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल हैं।
----------	--	-----	---

नोट:

1. दिव्यांग* खिलाड़ियों के लिये भी उपरोक्त अर्हता प्रभावी होगी।

*Para sports/deaf/cerebral palsy/autism

2. किसी भी आमंत्रण/मेमोरियल/गैरआधिकारिक चैम्पियनशिप/प्रतिस्पर्धा को मान्यता नहीं दी जायेगी।

(ख) इस नियमावली के अन्तर्गत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित न्यूनतम खेल अर्हता के आधार पर जिस श्रेणी में सभी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए उत्कृष्ट खिलाड़ी की नियुक्ति होती है, वे यदि भविष्य में अपने प्रदर्शन में सुधार कर उच्च श्रेणी के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता को प्राप्त कर लेते हैं, तो

उन्हें स्वतः उस श्रेणी के लिए योग्य मानते हुए उस रिक्त पद के विरुद्ध सीधी नियुक्ति की जायेगी। परंतु इस तरह की नियुक्ति किये जाने की स्थिति में पूर्व सेवा की गणना की जायेगी तथा कर्मी की सेवा में टूट नहीं माना जायेगा।

4. **न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता।**—न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता जो समूह-ख के पदों पर नियुक्ति हेतु स्नातक अथवा समकक्ष, समूह-ग के लिपिकीय संवर्ग के निम्नवर्गीय लिपिकीय पदों पर नियुक्ति हेतु इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष एवं कार्यालय परिचारी के पदों पर नियुक्ति हेतु मैट्रिक अथवा इसके समकक्ष स्तर की शैक्षणिक योग्यता धारण करते हों। सीधी भर्ती हेतु राज्य सरकार की अनुमति से उपर्युक्त नियम-3(क) (ii) के खिलाड़ी यदि शैक्षणिक योग्यता धारण नहीं करते/करती हों वैसे खिलाड़ियों को नियुक्ति की तिथि से पांच वर्ष के अंदर उस पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक अर्हता को प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा यह कि नियुक्ति किया गया व्यक्ति संबंधित सेवा में पदोन्नति हेतु विचार किये जाने के लिये तब तक पात्र नहीं होगा/होगी जब तक कि वह विहित शैक्षणिक अर्हता धारण नहीं कर लेता/लेती है।

5. **चयनित खेल विधा।**—इस नियमावली के अन्तर्गत खेल विधाओं के अलावा किसी भी खिलाड़ी द्वारा मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा में पदक प्राप्त करने की स्थिति में उस खेल विधा में भी नियुक्ति पर विचार किया जायेगा। इस हेतु सामान्य प्रशासन विभाग में अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित खेल विधा समिति द्वारा अनुशंसा की जायेगी। समिति के सदस्य निम्नवत् होंगे :-

(I) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	:-	सदस्य
(II) महानिदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण	:-	सदस्य
(III) भारतीय खेल प्राधिकरण के खेल विशेषज्ञ	:-	सदस्य
(IV) निदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण	:-	सदस्य

6. **चयन प्रक्रिया।**—

- (i) चयनित खेल विधा में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति असेनिक संवर्ग में सीधी भर्ती हेतु (प्रोन्नति हेतु आरक्षित पदों को छोड़कर) उपलब्ध मूल कोटि के कुल बल के 10 प्रतिशत के अंतर्गत होगी। सिपाही संवर्ग एवं पुलिस अवर निरीक्षक संवर्ग में सीधी नियुक्ति हेतु आगामी प्रत्येक रिक्त पदों में एक प्रतिशत पद खिलाड़ियों के लिए खेल कोटा के रूप में आरक्षित रहेगा। पुलिस उपाधीक्षक के लिये स्वीकृत बल का दस प्रतिशत पद आरक्षित रहेगा।
- (ii) चयनित खिलाड़ी आरक्षण की दृष्टि से जिस कोटि से संबंधित होंगे, उनकी गिनती उसी आरक्षण कोटि में की जायेगी, अर्थात् आरक्षित कोटि के चयनित खिलाड़ियों की गणना संगत आरक्षित कोटि के विरुद्ध तथा गैर आरक्षित वर्ग के खिलाड़ियों की गणना गैर आरक्षित वर्ग में की जायेगी।
- (iii) चयनित खेल विधाओं में प्राप्त उपलब्धि के आधार पर समूह-‘ख’ तथा समूह ‘ग’ के पदों पर नियुक्ति की जायेगी।
- (iv) सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा सभी विभागों/कार्यालयों से प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल से अगले वर्ष 31 मार्च तक नियम-3(क)(ii) के पदों हेतु रिक्तियाँ प्राप्त किया जायेगा।
- (v) बिहार के निवासी किसी अन्य राज्य में या भारत सरकार या भारत सरकार के किसी संगठन एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में कार्यरत खिलाड़ी खेल के निर्धारित अर्हता को प्राप्त करते हैं तो वे भी आवेदन देने के पात्र होंगे तथा इस तरह की नियुक्ति किये जाने की स्थिति में पूर्व सेवा की गणना की जायेगी एवं कर्मी की सेवा में टूट नहीं माना जायेगा। पूर्व का वेतन स्तर कायम रहेगा।
- (vi) **ट्रायल।**—ट्रायल के आधार पर भर्ती के लिए खेल विधावार ट्रायल, ट्रायल समिति द्वारा आयोजित किया जाएगा। ट्रायल समिति के अध्यक्ष/सदस्य निम्नलिखित होंगे :-
- | | | |
|---|---|---------|
| (क) महानिदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण | — | अध्यक्ष |
| (ख) निदेशक, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग | — | सदस्य |
| (ग) निदेशक-सह-सचिव, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण | — | संयोजक |
| (घ) बिहार राज्य प्राधिकरण द्वारा मनोनित राष्ट्रीय स्तर के खेल सलाहकार
(खेल विधा के अनुसार) | — | सदस्य |
| (ङ.) जिला खेल पदाधिकारी | — | सदस्य |

7. **पदक विजेताओं के लिए विशेष प्रक्रिया।**—

- (i) नियम-3 (ii) के क्रम संख्या (i) से (iv(क)) के पदों के लिये पदक विजेता/सहभागिता प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों से आवेदन प्रपत्र में प्राप्त कर, आवेदनों की स्कूटिनी कर सीधे तौर पर महानिदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के अनुशंसा पर सीधी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत ऐसे खिलाड़ियों की नियुक्ति गठित चयन समिति के अनुमोदन से किया जायेगा।

- (ii) उत्कृष्ट खिलाड़ियों के चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित चयन समिति के निम्नांकित अध्यक्ष/सदस्य होंगे:-

(क)	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना	-	अध्यक्ष
(ख)	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना	-	सदस्य
(ग)	महानिदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण	-	सदस्य
(घ)	सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति/जनजाति के उप सचिव के अनूय स्तर के पदाधिकारी	-	सदस्य
(ङ.)	बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा मनोनीत संबंधित खेलविधा के एक राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ	-	सदस्य

- (iii) किसी एक खेल विधा में (अपवाद एथलेटिक्स), एक वर्ष में पाँच से अधिक उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति नहीं की जायेगी। दल द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर अधिकतम 5 खिलाड़ियों की नियुक्ति की शर्त को विशेष परिस्थिति में शिथिल किया जाएगा।

- (iv) टीम आयोजनों में, यदि अपेक्षित योग्यता रखने वाले सभी टीम सदस्य नियुक्ति के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत करते हैं, तो चयन समिति भर्ती के लिए ऐसे सभी व्यक्तियों पर विचार करेगी। इस मामले में खिलाड़ी/प्रति खेल/प्रति वर्ष की संख्या पर कोई बंधन नहीं होगा।

- (v) दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए आयोजित मान्यता प्राप्त सभी खेल विधाओं को एक ही खेल विधा मानते हुए नियुक्ति के लिए समेकित रूप से विचार किया जायेगा एवं राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए निर्धारित कोटा के अनुसार अनुमानित रिक्त पदों पर उत्कृष्ट दिव्यांग खिलाड़ियों की नियुक्ति की जायेगी। दिव्यांग खिलाड़ियों की नियुक्ति पुलिस सम्बर्ग में नहीं होगी।

- (vi) खेल अर्हता की गणना की अवधि :-

1. उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति हेतु, खेल उपलब्धियाँ तत्काल पिछले 2 वर्षों के अंदर की होनी चाहिये अर्थात् नियुक्ति के वित्तीय वर्ष एवं उससे पहले के दो वित्तीय वर्ष के बीच का होना चाहिये।
2. पदक धारक, पदक जीतने की तिथि से अधिकतम तीन वर्ष के भीतर बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के समक्ष आवेदन कर सकते हैं।

- (vii) टाई को तोड़ने की विधि । -दो या दो से अधिक खिलाड़ियों के द्वारा धारित योग्यता/अंक समान रहने की स्थिति में चयन हेतु निम्नांकित प्राथमिकता/विधि अपनाई जायेगी :-

- (क) राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर नये कीर्तिमान बनाने की स्थिति में संबंधित खिलाड़ी को प्राथमिकता दी जायेगी।
- (ख) नियम-08(क) में उल्लिखित क्रम में उच्चस्तरीय प्रतिस्पर्धा की उपलब्धि को प्राथमिकता दी जायेगी।
- (ग) व्यक्तिगत उपलब्धि दलीय उपलब्धि से बड़ी मानी जायेगी।
- (घ) प्रभावी वर्ष में प्राप्त उपलब्धि को प्राथमिकता दी जायेगी।
- (ङ) यदि नियम-7(vi)(क), (ख), (ग), (घ) एवं (ङ.) द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया के बावजूद दो या दो से अधिक खिलाड़ियों के द्वारा धारित योग्यता/अंक समान आता है तो जिनका उम्र अधिक होगा उनका चयन पहले किया जायेगा।

- (viii) दलीय प्रतिस्पर्धा में अर्हता प्राप्त दल के सभी सदस्यों के द्वारा नियुक्ति हेतु आवेदन दिये जाने की स्थिति में उपर्युक्त नियम-7(vi) में वर्णित शर्तों के अनुसार चयन की प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

- (ix) बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा तैयार औपबधिक मेधा सूची प्रारूप सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से चयन समिति के समक्ष रखा जायेगा। चयन समिति द्वारा औपबधिक मेधा सूची के अनुमोदनोपरांत बिहार राज्य खेल प्राधिकरण बिहार, पटना द्वारा अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित खेल प्रमाण पत्रों का सत्यापन संबंधित राष्ट्रीय खेल महासंघों से कराया जायेगा। सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर यदि औपबधिक मेधा सूची में संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी तो उसे सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा तदनु रूप प्रकाशित किया जायेगा, परन्तु यदि औपबधिक मेधा सूची में संशोधन की आवश्यकता होगी, तब चयन समिति द्वारा औपबधिक मेधा सूची को तदनु रूप संशोधित किया जाएगा एवं संशोधित औपबधिक मेधा सूची का प्रकाशन सामान्य प्रशासन विभाग के वेबसाइट पर किया जायेगा।

- (क) औपबधिक मेधा सूची के प्रकाशन की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर किसी प्रकार की दावा/आपत्ति बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को समर्पित की जा सकेगी।

- (ख) प्राप्त दावा/आपत्तियों की जाँच कर बिहार राज्य खेल प्राधिकरण अपना जाँच प्रतिवेदन चयन समिति को प्रस्तुत करेगी एवं चयन समिति उक्त प्रतिवेदन के आधार पर दावा/आपत्ति का निराकरण कर प्रत्येक कोटि एवं पद के लिए अंतिम मेधा सूची जारी करेगी। अंतिम मेधा सूची अधिकतम पाँच खिलाड़ियों की तैयार की जाएगी। अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर किया जायेगा। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा रिक्तियों की अधियाचना के आधार पर अंतिम मेधा सूची में अंकित उत्कृष्ट खिलाड़ियों की अनुशांसा संबंधित नियुक्ति प्राधिकारों को भेजी जायेगी। अंतिम मेधा सूची की वैधता इसके प्रकाशन की तिथि से केवल एक वर्ष तक होगी।

किसी खिलाड़ी द्वारा योगदान नहीं देने पर उक्त रिक्ति आगामी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल कर ली जाएगी। कोई प्रतीक्षा सूची संधारित नहीं होगी।

8. खिलाड़ियों की वरीयता ।—

(क) खिलाड़ियों की वरीयता निम्न प्रकार से निर्धारित होगी।

1. ऑलम्पिक गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता।
2. ऑलम्पिक गेम्स के रजत पदक विजेता।
3. ऑलम्पिक गेम्स के कांस्य पदक विजेता।
4. ऑलम्पिक गेम्स में सहभागिता।
5. एशियन गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता
6. कॉमनवेल्थ गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता
7. एशियन गेम्स के रजत पदक विजेता
8. कॉमनवेल्थ गेम्स के रजत पदक विजेता
9. एशियन गेम्स के कांस्य पदक विजेता
10. कॉमनवेल्थ गेम्स के कांस्य पदक विजेता
11. एशियन गेम्स में सहभागिता।
12. कॉमनवेल्थ गेम्स में सहभागिता।
13. सीनियर नेशनल गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता
14. सीनियर नेशनल गेम्स में रजत पदक विजेता
15. सीनियर नेशनल गेम्स में कांस्य पदक विजेता
16. सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता
17. सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप में रजत पदक विजेता
18. सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप में कांस्य पदक विजेता
19. जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप स्वर्ण पदक विजेता
20. जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप रजत पदक विजेता
21. जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप कांस्य पदक विजेता

(ख) किसी पंचांग (कैलेण्डर) वर्ष में, किसी संवर्ग में प्रोन्नति एवं सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मी मेधावी खिलाड़ियों से वरीय होंगे परंतु अनुकंपा के आधार पर नियुक्त कर्मी मेधावी खिलाड़ी से कनीय होंगे।

9. आयु सीमा ।—उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होगी। अधिकतम उम्र की सीमा नहीं होगी।

10. सेवा शर्त ।—

- (i) इस नियमावली के प्रावधानों के आलोक में नियुक्त उत्कृष्ट खिलाड़ियों पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथासंशोधित) तथा बिहार खिलाड़ी सरकारी सेवक (सेवा शर्त) नियमावली, 2015 लागू होगी।
- (ii) खेल कोटा के अधीन नियुक्ति इसी शर्त पर की जायेगी कि नियुक्त सभी उम्मीदवार नियुक्ति की तिथि से 05 वर्षों तक सक्रिय खिलाड़ी के रूप में प्रतिस्पर्धाओं में शामिल होंगे एवं इस प्रयोजनार्थ एक बंधपत्र (Bond) अनिवार्य रूप से देंगे। बंधपत्र (Bond) के शर्तों को पूरा करने में विफल रहने वाले खिलाड़ियों की सेवा संपुष्टि नहीं की जायेगी।

11. विनियमावली ।—इस नियमावली के किसी नियम उपबंध को लागू करने में कठिनाई होने पर अथवा चयन प्रक्रिया, ट्रायल, अर्हता तथा अन्य मामलों के संबंध में जिनका इस नियमावली में स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया है, उन्हें लागू किये जाने हेतु विनियमावली बनाई जायेगी।

12. प्रकीर्ण ।—किसी अन्य नियमावली में इस नियमावली के प्रतिकूल किसी बात के होने पर भी इस नियमावली के प्रावधानों का अविभावी प्रभाव होगा।

13. **कठिनाईयों का निराकरण** ।—इस नियमावली के किसी उपबन्धों के कार्यान्वयन में होने वाली कठिनाईयों के निराकरण के लिये समय-समय पर सरकार यथावश्यक सामान्य या विशेष निर्देश जारी कर सकेगी तथा प्रवृत्त नियमावली में संशोधन कर सकेगी।
14. **निरसन एवं व्यावृत्ति** ।—तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक-3792 दिनांक 14.03.1973 संकल्प संख्या-1086 दिनांक 20.01.1979 एवं बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति नियमावली-2009 (वर्ष-2012 तक यथासंशोधित) में उत्कृष्ट खिलाड़ी की नियुक्ति से संबंधित सभी अनुदेश, बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति नियमावली-2014 में उत्कृष्ट खिलाड़ी की नियुक्ति से संबंधित सभी अनुदेश, बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति (संशोधन) नियमावली-2020 एवं गृह विभाग द्वारा अधिसूचित बिहार पुलिस खेल-कूद नीति, 2013 में उत्कृष्ट खिलाड़ी की नियुक्ति से संबंधित सभी अनुदेश निरसित समझे जायेंगे।

ऐसा निरसन के होते हुये भी उपर्युक्त परिपत्र/संकल्प/नियमावली के अधीन इस नियमावली के लागू होने के पूर्व की गई कार्रवाई या किये गये किसी कार्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० बी० राजेन्द्र,
सरकार के प्रधान सचिव।



आवेदन पत्र

आवेदन संख्या.

(एकल/दलीय प्रतिस्पर्धा)

(केवल कार्यालय
प्रयोग के लिए)

स्वअभिप्रमाणित
फोटो

1. नाम :
2. जन्म तिथि (जन्म प्रमाण-पत्र या दसवीं का प्रमाण-पत्र संलग्न करें):.....
3. पत्राचार का पता :
.....
4. मेल पता :
5. आधार नं० मोबाईल फोन नं०
6. क्या आप बिहार के स्थायी निवासी हैं ? हाँ/नहीं
(यदि हाँ, तो प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
7. क्या आप बिहार के लिए अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर पर खेले हैं ? हाँ/नहीं (यदि हाँ, तो
प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
8. शैक्षणिक योग्यताएं (प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
9. निःशक्तता की किस्म तथा प्रतिशतता (पैरा, नेत्रहीन, बधिर, विशेष ओलम्पिक खेल के लिए
प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
10. खेलविधा का नाम :
11. सर्वोत्तम खेल उपलब्धि (प्रमाण-पत्र संलग्न करें) :
(i) खेल प्रतियोगिता का नाम :
(ii) आयोजित करने वाला प्राधिकरण :
(iii) मास तथा वर्ष :
(iv) खेल प्रतियोगिता का स्थान :
(v) खेल प्रतियोगिता का स्तर :
(vi) जीता गया पदक :
12. भारत सरकार/भारत सरकार के कोई संगठन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/अन्य राज्य में
कार्यरत खिलाड़ी हैं यदि है तो अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें या योगदान के समय प्रस्तुत
करना अनिवार्य होगा।

नोट:- सभी प्रमाण-पत्र स्वअभिप्रमाणित होने चाहिए।

खिलाड़ी द्वारा घोषणा

1. मैंने बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली, 2023 पढ़ लिया है तथा घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि मैं इन नियमों के अधीन नियुक्ति के विचारण के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हूँ।
2. मैंने आवेदन के समर्थन में सभी दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियाँ संलग्न की हैं।
3. मैंने अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर पर बिहार/अन्य किसी राज्य..... का प्रतिनिधित्व किया है।
4. मैं कदाचार जैसे कि डोपिंग, लैंगिक उत्पीड़न तथा गाली देना, प्रतिस्पर्धा हेर-फेर जैसे कि शर्त लगाना, आन्तरिक जानकारी, मैच फिक्सिंग, खेल की अखण्डता तथा सार को खतरा पैदा करने वाली धमकी देने का दोषी नहीं हूँ।
5. यदि नियुक्ति दी जाती है, तो मैं वचन देता हूँ कि सेवा ग्रहण करने से पूर्व, मैं धन संबंधी लाभ जैसे कि वाणिज्यिक समर्थन या व्यावसायिक खेल संबंधी अस्तित्वयुक्त संविदा नहीं करूंगा।
6. यह प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा ऊपर दिए गए विवरण सत्य तथा सही हैं। यहाँ कुछ भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। दी गई गलत सूचना या तथ्य छिपाने की दशा में मेरी सेवाएं बिना किसी सूचना के समाप्त कर दी जाएंगी।

दिनांक :

(खिलाड़ी का हस्ताक्षर)

स्थान :

.....केवल कार्यालय प्रयोग के लिए

महानिदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की अनुशंसा

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की स्वअभिप्रमाणित प्रतियाँ मूल से जाँच ली गई हैं तथा सही पाई गई हैं।

नाम आधार संख्या आवेदन पत्र क्रमांक
को की सरकारी सेवा के लिए अनुशंसा की जाती है।

जाँचे गये दस्तावेजों की सूची :-

1. खेल उपलब्धि प्रमाण-पत्र
2. निःशक्तता प्रमाण-पत्र (पैरा, नेत्रहीन, बधिर, विशेष ओलम्पिक खेल के लिए)
3. पदक का नाम एवं प्रमाण-पत्र

दिनांक :-

महानिदेशक,
बिहार राज्य खेल प्राधिकरण।

डॉ० बी० राजेन्द्र,
सरकार के प्रधान सचिव।

2 मार्च 2023

सं० 26/नि०नि०-19-02/2021-4320/सा०प्र०-अधिसूचना संख्या 4319, दिनांक 2 मार्च 2023 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका अधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० बी० राजेन्दर,

सरकार के प्रधान सचिव।

The 2nd March 2023

No. 26/Ni.Ni.-19-02/2021 GAD/4319—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of Constitution of India, the Governor of Bihar hereby makes the following rules for direct appointment of outstanding sportspersons :-

1. Short title, extent and commencement.:-

- (i) These Rules may be called as "The Bihar Outstanding Sportspersons Direct Appointment Rules, 2023."
- (ii) It shall extend to the whole State of Bihar.
- (iii) It shall come into force from the date of its publication in the official gazette.

2. Definitions. :- In these rules, unless the context otherwise requires:-

- (i) '**Rules**' means "The Bihar Outstanding Sportsperson Direct Appointment Rules, 2023."
- (ii) '**Government**' means, the Government of Bihar.
- (iii) '**Year**' means the financial year i.e. from 1st April to 31st March of next year.
- (iv) '**Appointing authority**' means Appointing authority as defined in the concerned service/cadre Rules ;
- (v) '**Outstanding Sportsperson**' means such Sportsperson who is native of the State of Bihar and have won medal/participated in international competitions on behalf of India/ have won medal in national competitions representing any of the state.
- (vi) '**Individual event**' means such events in which the achievement is by the individual's effort.
- (vii) '**Team event**' means, such events in which achievement done by two or more than two individuals as a team.
- (viii) '**Representation of India**' means the permanent resident of the Bihar State representing India as Sportsperson in international competition.

3. (a) Qualifications.— Under these rules, the Sportspersons having the following qualifications shall be suitable for appointment in the category of outstanding Sportsperson under the service of the State Government, who

- (i) is the permanent resident of State of Bihar
- (ii) Pay band/scale and pay level and minimum sports achievement qualification fixed for direct appointment of medal winner :-